



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

### NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1811/MH/3/2023-ESDW

दिनांक: 19.06.2023


श्री विपिन कुमार शर्मा,  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,  
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई (बांद्रा)  
341, भविष्य निधि भवन,  
बान्द्रा (पूर्व)  
मुंबई-1 (बांद्रा) - 400 051  
ई-मेल: vipin.Sharma@epfindia.gov.in

विषय: कोष्ठी (बुनकर) जाति के लोगो द्वारा अनुसूचित जनजाती (हल्बा कोष्ठी) नाम से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना कर सरकारी नियुक्ति व पदोन्नति में लाभ लिए जाने के संबंध में श्री घनश्याम मंडावी, सचिव, अखिल भारतीय आदिवासी समाज, जयस्तंभ चौक, गडचिरोली, महाराष्ट्र का दिनांक 08.05.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री घनश्याम मंडावी से दिनांक 08.05.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

  
(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री घनश्याम मंडावी,  
सचिव,  
अखिल भारतीय आदिवासी समाज,  
जयस्तंभ चौक, गडचिरोली,  
महाराष्ट्र

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की  
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।